

कार्यालय, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/सी/एकीकरण/19843/2025-26/106

दिनांक : 01/12/2025

जिला शिक्षा अधिकारी (मु.)

अति-आवश्यक

प्रारम्भिक शिक्षा

..... (समस्त)

विषय : 1 से 10 नामांकन वाले रा.प्रा.वि./रा.उ.प्रा.वि के संबंध में ।

प्रसंग : संयुक्त शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर का पत्रांक : प.17(1)प्राशि/आयो/वीआईपी/एकी.मु./2023-03189 जयपुर दिनांक : 25.11.25 ।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संबंध में लेख है कि संयुक्त शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्र दिनांक : 25.11.25 के बिंदु संख्या 2 की पालना में 1 से 10 नामांकन वाले सामान्य शिक्षा के राजकीय विद्यालयों तथा उनके निकटतम अन्य विद्यालयों की सूचना शासन को प्रेषित की जानी है ।

शाला दर्पण पोर्टल रिपोर्ट दिनांक : 20.11.25 के अनुसार आपके जिले में 1 से 10 नामांकन वाले विद्यालयों की सूची निर्धारित प्रारूप में आपको प्रेषित की जा रही है । आपको निर्देशित किया जाता है कि पत्र के साथ संलग्न दिशा-निर्देशों का भली-भांति अध्ययन कर सूचना दिनांक : 09.12.25 दोपहर 12 बजे तक इस कार्यालय के शैक्षिक अनुभाग की ई-मेल : shakshikcelledu@gmail.com पर प्रेषित कराया जाना सुनिश्चित करें । यह भी निर्देशित किया जाता है कि सूचना निर्धारित तिथि एवं समय तक अप्राप्त रहने अथवा सूचना का एक भी कॉलम गलत होने की स्थिति में दिनांक : 10.12.25 प्रातः 10 बजे आपके कार्यालय के विज्ञ कार्मिक को इस कार्यालय में व्यक्तिशः बुलाकर सूचना तैयार कराई जायेगी जिसके लिये पृथक से पत्र प्रेषित कर दिया जायेगा ।

यदि विज्ञ कार्मिक द्वारा चुनाव सम्बन्धित कार्य सम्पादित किया जा रहा है तो आपके अधीनस्थ कार्यालय/विद्यालय अथवा माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों से बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक/सूचना सहायक/अन्य कार्मिक की सहायता से उक्त कार्य पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित करें ।

संलग्न: उपर्युक्तानुसार।

(सीताराम जाट)

I.A.S.

निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा एवं
पं.राज (प्रा.शि.) विभाग
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।

Signature valid



Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2025.12.01 18:43:46 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
19137483

2. संयुक्त शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
3. निजी सचिव, निदेशक, कार्यालय हाजा ।

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा एवं
पं.राज (प्रा.शि.) विभाग
राजस्थान, बीकानेर



International Year of Cooperatives

Cooperatives Build a Better World

Signature valid

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation: Director
Date: 2025.12.01 18:43:46 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
19137483

कार्यालय, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

1 से 10 नामांकन वाले विद्यालयों की सूचना हेतु प्रारूप भरने बाबत निर्देश

1. जो सूची आपको उपलब्ध करवाई जा रही है, उस सूची में अंकित क्रम संख्या में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
2. प्रारूप भरने हेतु निर्देश निम्नानुसार है :-

कॉलम संख्या	कौन से फॉन्ट का इस्तेमाल किया जाना है	विवरण
कॉलम संख्या 1	Calibri (Body) (Font size 10)	क्र.सं. अंकित की गई है जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
कॉलम संख्या 2	Calibri (Body) (Font size 10)	शाला दर्पण पोर्टल अनुसार जिले का नाम पहले से अंकित किया गया है। इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
कॉलम संख्या 3	Calibri (Body) (Font size 10)	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय जिनका नामांकन 1 से 10 है, ऐसे विद्यालयों के ग्राम का नाम पहले से अंकित कर सूची आपको उपलब्ध करवाई जा रही है।
कॉलम संख्या 4	Calibri (Body) (Font size 10)	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय जिनका नामांकन 1 से 10 है, ऐसे विद्यालयों की ग्रा.पं. का नाम पहले से अंकित कर सूची आपको उपलब्ध करवाई जा रही है।
कॉलम संख्या 5	Calibri (Body) (Font size 10)	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय जिनका नामांकन 1 से 10 है, ऐसे विद्यालयों के ब्लॉक का नाम पहले से अंकित कर सूची आपको उपलब्ध करवाई जा रही है।
कॉलम संख्या 6	Calibri (Body) (Font size 10)	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय जिनका नामांकन 1 से 10 है, ऐसे विद्यालयों की विधानसभा का नाम पहले से अंकित कर सूची आपको उपलब्ध करवाई जा रही है।
कॉलम संख्या 7	Calibri (Body) (Font size 10)	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय जिनका नामांकन 1 से 10 है, ऐसे विद्यालयों का नाम पहले से अंकित कर सूची आपको उपलब्ध करवाई जा रही है।
कॉलम संख्या 8	Calibri (Body) (Font size 10)	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय जिनका नामांकन 1 से 10 है, ऐसे विद्यालयों का एनआईसी कोड पहले से अंकित कर सूची आपको उपलब्ध करवाई जा रही है।
कॉलम संख्या 9	Calibri (Body) (Font size 10)	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय जिनका नामांकन 1 से 10 है, ऐसे विद्यालयों का डाईस कोड पहले से अंकित कर सूची आपको उपलब्ध करवाई जा रही है।
कॉलम संख्या 10	Calibri (Body) (Font size 10)	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय जिनका नामांकन 1 से 10 है, उनका नामांकन पहले से अंकित है। उक्त नामांकन शाला दर्पण पोर्टल रिपोर्ट दिनांक : 20.11.25 के अनुसार अंकित किया गया है, अतः उक्त नामांकन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
कॉलम संख्या 11	Calibri (Body)	इस कॉलम में भवन की स्थिति को धारण करने के लिए प्रारूप भरना है।

Signature valid

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2025.12.01 18:43:46 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
19137483

JIQ\Group B\Efile

Page 3

	(Font size 10)	अंकित किये जायेंगे, D, OK अथवा RENTED । D का तात्पर्य damaged है जिसे short में ही अंकित किया जाना है, RENTED का तात्पर्य किराये के भवन से है । इन 3 शब्दों के अतिरिक्त अन्य कोई भी शब्द अंकित नहीं किया जायेगा । भवन विहिन की स्थिति में NA अंकित करें।
कॉलम संख्या 12 से 19 हेतु सामान्य निर्देश	Calibri (Body) (Font size 10)	कॉलम संख्या 12 से 19 में कॉलम संख्या 7 में अंकित विद्यालय के निकटतम विद्यालय की प्रविष्टियां दर्ज की जानी है, ध्यान रहे कि इस कॉलम में केवल 1 ही विद्यालय का नाम अंकित किया जायेगा जो सबसे निकटतम है। यदि एक से अधिक विद्यालयों की दूरी एक समान है तो उच्चतम स्तर के विद्यालय का चयन किया जायेगा । उच्चतम स्तर के भी 2 विद्यालय एक समान है तो सह शिक्षा वाले विद्यालय का चयन किया जायेगा । इस कॉलम में ऐसे किसी भी विद्यालय का चयन नहीं किया जायेगा जिसका नामांकन 10 अथवा उससे कम है । कॉलम संख्या 12 से 19 में कहीं पर भी संस्कृत शिक्षा के विद्यालय, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, आवासीय विद्यालय एवं निजी विद्यालयों की प्रविष्टि नहीं की जायेगी । यह भी ध्यान रहे कि यदि कॉलम संख्या 7 में प्राथमिक विद्यालय अंकित है तो नजदीकी विद्यालय में प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय का विवरण अंकित किया जायेगा, परंतु यदि कॉलम संख्या 7 में उच्च प्राथमिक विद्यालय अंकित है तो नजदीकी विद्यालय के कॉलम में उच्च प्राथमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय का ही विवरण अंकित किया जायेगा । नजदीकी राजकीय विद्यालय के कॉलम में सामान्य शिक्षा के केवल ऐसे राजकीय विद्यालय का विवरण अंकित किया जायेगा जिसका कुल नामांकन 11 या उससे अधिक है । नजदीकी राजकीय विद्यालय अन्य ग्राम पंचायत, राजस्व ग्राम या ब्लॉक में संचालित होने की स्थिति में भी उसका चयन किया जा सकता है, परंतु अन्य जिले के किसी भी विद्यालय को नजदीकी राजकीय विद्यालय में अंकित नहीं किया जायेगा ।
कॉलम संख्या 12	Calibri (Body) (Font size 10)	कॉलम संख्या 7 में अंकित प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय के सबसे अधिक नजदीक वाले राजकीय प्राथमिक विद्यालय/राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय/राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के ब्लॉक का नाम अंकित किया जाना है । यह भी ध्यान रहे कि यदि कॉलम संख्या 7 में प्राथमिक विद्यालय अंकित है तो नजदीकी विद्यालय में प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय का विवरण अंकित किया जायेगा, परंतु यदि कॉलम संख्या 7 में उच्च प्राथमिक विद्यालय अंकित है तो नजदीकी विद्यालय के कॉलम में उच्च प्राथमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय का ही विवरण अंकित

Signature valid

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2025.12.01 18:43:46 IST
Reason: Approved

		किया जायेगा । कॉलम संख्या 7 में यदि उच्च प्राथमिक विद्यालय अंकित है तो किसी भी स्थिति में कॉलम संख्या 12 से 19 में प्राथमिक विद्यालय का विवरण अंकित नहीं किया जायेगा । नजदीकी राजकीय विद्यालय में ऐसे किसी भी विद्यालय का चयन नहीं किया जायेगा जिसका नामांकन 10 अथवा उससे कम है ।
कॉलम संख्या 13	Calibri (Body) (Font size 10)	कॉलम संख्या 7 में अंकित प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय के सबसे अधिक नजदीक वाले राजकीय प्राथमिक विद्यालय/राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय/राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के विधानसभा का नाम अंकित किया जायेगा । यह भी ध्यान रहे कि यदि कॉलम संख्या 7 में प्राथमिक विद्यालय अंकित है तो नजदीकी विद्यालय में प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय का विवरण अंकित किया जायेगा, परंतु यदि कॉलम संख्या 7 में उच्च प्राथमिक विद्यालय अंकित है तो नजदीकी विद्यालय के कॉलम में उच्च प्राथमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय का ही विवरण अंकित किया जायेगा । कॉलम संख्या 7 में यदि उच्च प्राथमिक विद्यालय अंकित है तो किसी भी स्थिति में कॉलम संख्या 12 से 19 में प्राथमिक विद्यालय का विवरण अंकित नहीं किया जायेगा । नजदीकी राजकीय विद्यालय में ऐसे किसी भी विद्यालय का चयन नहीं किया जायेगा जिसका नामांकन 10 अथवा उससे कम है ।
कॉलम संख्या 14	Calibri (Body) (Font size 10)	कॉलम संख्या 7 में अंकित प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय के सबसे अधिक नजदीक वाले राजकीय प्राथमिक विद्यालय/राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय/राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का नाम अंकित किया जायेगा । यह भी ध्यान रहे कि यदि कॉलम संख्या 7 में प्राथमिक विद्यालय अंकित है तो नजदीकी विद्यालय में प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय का विवरण अंकित किया जायेगा, परंतु यदि कॉलम संख्या 7 में उच्च प्राथमिक विद्यालय अंकित है तो नजदीकी विद्यालय के कॉलम में उच्च प्राथमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय का ही विवरण अंकित किया जायेगा । कॉलम संख्या 7 में यदि उच्च प्राथमिक विद्यालय अंकित है तो किसी भी स्थिति में कॉलम संख्या 12 से 19 में प्राथमिक विद्यालय का विवरण अंकित नहीं किया जायेगा । नजदीकी राजकीय विद्यालय में ऐसे किसी भी विद्यालय का चयन नहीं किया जायेगा जिसका नामांकन 10 अथवा उससे कम है ।
कॉलम संख्या 15	Calibri (Body) (Font size 10)	कॉलम संख्या 7 में अंकित प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय के सबसे अधिक नजदीक वाले राजकीय प्राथमिक विद्यालय/राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय/राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का नाम अंकित किया जायेगा ।

Signature valid

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation: Director
Date: 2025.12.01 18:43:46 IST
Reason: Approved

		राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का एनआईसी कोड अंकित किया जायेगा। (विशेष ध्यान रखें) ध्यान रखें कि आप जो भी एनआईसी कोड अंकित कर रहे हैं, उस एनआईसी कोड के माध्यम से इस कार्यालय द्वारा विद्यालय का ग्राम, ग्राम पंचायत, ब्लॉक, विधानसभा, एनआईसी कोड, कुल नामांकन इत्यादि की सूचना शाला दर्पण पोर्टल से ली जायेगी, यदि आप द्वारा गलत एनआईसी कोड भरा गया तो समस्त जिम्मेवारी आपकी रहेगी ।
कॉलम संख्या 16	Calibri (Body) (Font size 10)	कॉलम संख्या 7 में अंकित प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय के सबसे अधिक नजदीक वाले राजकीय प्राथमिक विद्यालय/राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय/राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का डाईस कोड अंकित किया जायेगा। यह भी ध्यान रहे कि यदि कॉलम संख्या 7 में प्राथमिक विद्यालय अंकित है तो नजदीकी विद्यालय में प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय का विवरण अंकित किया जायेगा, परंतु यदि कॉलम संख्या 7 में उच्च प्राथमिक विद्यालय अंकित है तो नजदीकी विद्यालय के कॉलम में उच्च प्राथमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय का ही विवरण अंकित किया जायेगा । कॉलम संख्या 7 में यदि उच्च प्राथमिक विद्यालय अंकित है तो किसी भी स्थिति में कॉलम संख्या 12 से 19 में प्राथमिक विद्यालय का विवरण अंकित नहीं किया जायेगा । नजदीकी राजकीय विद्यालय में ऐसे किसी भी विद्यालय का चयन नहीं किया जायेगा जिसका नामांकन 10 अथवा उससे कम है ।
कॉलम संख्या 17	Calibri (Body) (Font size 10)	इस कॉलम में कॉलम संख्या 14 पर अंकित विद्यालय का नामांकन अंकित किया जायेगा । ध्यान रहे कि नामांकन दिनांक : 20.11.25 की तिथि के अनुसार अंकित करना है । यदि सबसे निकटतम विद्यालय का नामांकन 10 या उससे कम है तो उसे छोड़ते हुए अगले नजदीकी राजकीय विद्यालय का चयन करें जिसका नामांकन 11 या उससे अधिक है ।
कॉलम संख्या 18	Calibri (Body) (Font size 10)	इस कॉलम में कॉलम संख्या 7 पर अंकित विद्यालय एवं कॉलम संख्या 14 में अंकित विद्यालय के बीच की दूरी अंकित करें । ध्यान रहे कि दूरी कि.मी. में अंकित की जानी है, अतः 3 कि.मी. के स्थान पर केवल 3 लिखें, 300 मीटर के स्थान पर केवल 0.3 लिखें, कि.मी एवं मीटर शब्द अंकित नहीं करें । अगर कि.मी. एवं मीटर शब्द अंकित किये गये तो सूचना पुनः तैयार करवाई जायेगी ।
कॉलम संख्या 19	Calibri (Body) (Font size 10)	इस कॉलम में कॉलम संख्या 14 में भरे गये विद्यालय के भवन की स्थिति के बारे में केवल 3 शब्द ही अंकित किये जायेंगे, D, OK अथवा RENTED । D का तात्पर्य damaged है

Signature valid

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2025.12.01 18:43:46 IST
Reason: Approved

सूचना देने में अनावश्यक विलम्ब करता है तो उसका नाम, पदनाम, मोबाईल नम्बर एवं मूल पदस्थापन स्थान की सूचना इस कार्यालय में प्रेषित करें जिससे दोषी कार्मिक के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ की जा सके । सूचना अप्राप्त रहने की स्थिति में यदि आप द्वारा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/पीईईओ/यूसीईओ के किसी भी अधिकारी/कार्मिक की सूचना इस कार्यालय को प्रेषित नहीं की जाती है तो यह मान लिया जायेगा कि सूचना आपको प्राप्त हो चुकी है परंतु आप द्वारा सूचना प्रेषित नहीं की गई है, ऐसी स्थिति में आपके कार्यालय के दोषी अधिकारी/कार्मिक के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी एवं सूचना तैयार करने हेतु सम्बन्धित कार्मिक को इस कार्यालय में व्यक्तिशः बुला कर सूचना तैयार करवाई जायेगी ।

8. ब्लॉक कार्यालय एवं विद्यालय इस कार्यालय को सीधे सूचना प्रेषित नहीं करेंगे । ब्लॉक कार्यालय एवं विद्यालय के कार्मिक सूचना भरने में किसी प्रकार की सहायता हेतु अपनी समस्या सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मु.) प्रारम्भिक शिक्षा कार्यालय में नोट करवायेंगे एवं सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मु.) प्रारम्भिक शिक्षा का विज्ञ कार्मिक कार्यालय समय में इस कार्यालय के शैक्षिक अनुभाग के अधिकारी/कार्मिक से दूरभाष पर सम्पर्क कर सकते हैं । शैक्षिक अनुभाग के अधिकारी/कार्मिक का दूरभाष नम्बर "शैक्षिक अनुभाग राजस्थान ग्रुप-कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर" नाम के whatsapp group पर उपलब्ध है जिसमें अनुभाग के अधिकारी/कार्मिकों के अतिरिक्त केवल जिला शिक्षा अधिकारी (मु.) प्रारम्भिक शिक्षा कार्यालय के कार्मिक जोड़े गये हैं ।
9. ई-मेल अथवा वाट्सएप पर सूचना की जांच करने हेतु कोई भी कार्मिक इस कार्यालय को सॉफ्ट प्रति नहीं भेजेंगे । प्रारूप के प्रत्येक कॉलम को भरने हेतु विस्तृत जानकारी दी जा चुकी है ।
10. आवश्यकतानुसार अवकाश के दिवस कार्यालय खुला रखते हुए कार्य करें ।

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा एवं
पं.राज (प्रा.शि.) विभाग
राजस्थान, बीकानेर

International Year
of Cooperatives

Cooperatives Build a Better World

Signature valid

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation: Director
Date: 2025.12.01 18:43:46 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
19137483

JIQ\Group B\Efile

Page 8